प्रपत्र– 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 27.10.16 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री प्रताप सिंह मेहता राजस्व विभाग की ओर से श्री- कुन्दन सिंह मेहता प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री ओकार पाण्डे सहायक अभियन्ता एवं श्री सन्नी कुमार सैनी कनिष्ठ अभियन्ता** द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 3.255 है0, सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.297 है0, वन पंचायत भूमि 0.735है0 एवं नापभूमि 0.612 है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ओलिग, भैरु, एवं ओखलधार जिसमें 2349 जनसख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 375 वृक्षों व नापभूमि 14 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो)..

....

....

ह0/– (प्रयोक्ता एजेन्सी)	ह0/– राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व विभाग का प्रतिनिधि) कपकोट (बागेश्वर)	ह0/– वन क्षेत्राधिकारी (वन विभाग का प्रतिनिधि)
ह0/– (जिलाधिकारी) जिलाधिकारी बागेश्वर	ह0/– (प्रभागीय वनाधिकारी) प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर	प्रताप सिंह मेहता 3.1.17
ह0/– (सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)		ह0/– (ग्राम प्रधान/ वन पंचायत सरपंच)

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 कपकोट

तहसीलदार तहसील कपकोट

Sub Divisional Magistrate Kapkote (Bageshwar)